ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली

वित्तीय वर्षः 2025—2026 / 27

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

14 कोसी परिक्रमा मार्ग, सिविल लाईन, अयोध्या।

www.ayodhyada.in vcafda@gmail.com, vcada@ayodhyada.com

आवेदन शुल्कः रू0 1180.00 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)

.... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र
वर्ष 2025–2026/27

1. फर्म का नाम..
2. फर्म का प्रकार .... (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/लिमिटेड कं०/प्राइवेट लिमिटेड कं०)
3. पूरा पता...
   मो० नं०.................................... फोन नं०.................................... ई–मेल ....
4. फर्म के स्वामित्व (प्रोप्राइटर/पार्टनरशिप/कम्पनी) की प्रति प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न–1)
5. स्टाफ की संख्या, नाम व पते। (संलग्न–2)
6. वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र। (संलग्न–3)
7. जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान का पता। (संलग्न–4)
8. दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की) (संलग्न–5)
9. आयकर विभाग से पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेन्स शीट, पैन नम्बर की छायाप्रति। (संलग्न–6)
10. औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले 03 वर्षों का सी0ए0 के माध्यम से सर्टिफाईड प्रति यू0डी0आई0एन0 सहित। (संलग्न– 7)
11. आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की) (संलग्न–8)
12. वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति। (संलग्न–9)
13. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन अयोध्या विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। (संलग्न–10)
14. निर्माण विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची। (संलग्न–11)
15. पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची। (संलग्न–12)
16. अनुभव प्रमाण पत्र। (संलग्न–13)
17. डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि। (संलग्न–14)
18. पार्टनरशिप फर्म हेतु पंजीकृत पार्टनर शिप डीड (जो पंजीकरण के लिये सक्षम स्तर से पंजीकृत हो) की प्रति। (संलग्न–15)

    अथवा

    कम्पनी (लिमिटेड/प्रा0लि0) हेतु Certificate of Incorporation, Memorandom of Association and Article of Association की प्रमाणित छायाप्रतियां एवं निविदा/अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने हेतु नियमानुसार पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न–15)
19. विद्युत कार्य के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशक, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत श्रेणी– 'क' अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न–16)
20. इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट संख्या– 07 के अनुसार) देना होगा कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य पाये जाते हैं. तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुए विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। (संलग्न–17)
21. इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। (संलग्न–18)
22. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं हैं। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा। (संलग्न–19)
23. कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) प्रमाण–पत्र। (संलग्न–20)

नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)	नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)	नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)	नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)
नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम	नाम ....
पता	पता	पता	पता ....
पैन कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0 ....
आधार नं0	आधार नं0	आधार नं0	आधार नं0 ....
ई–मेल	ई–मेल	ई–मेल	ई–मेल ....
मोबाइल नं0	मोबाइल नं0	मोबाइल नं0	मोबाइल नं0 ....

अयोध्या विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें

1. भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत हैं –

श्रेणी	–	निविदा मूल्य
ए–श्रेणी	–	रू0 150.00 लाख से अधिक
बी–श्रेणी	–	रू0 75.00 लाख से अधिक, रू0 150.00 लाख तक
सी–श्रेणी	–	रू0 25.00 लाख से अधिक, रू0 75.00 लाख तक
डी–श्रेणी	–	रू0 25.00 लाख तक

सड़क सम्बन्धी कार्य –

सड़क सम्बन्धी कार्य जिसमें पेवर के माध्यम से कार्य कराया जाना है, हेतु पृथक से पंजीकरण कराना होगा, जिसमें स्वयं का पेवर प्लाण्ट, हॉटमिक्स प्लाण्ट का होना आवश्यक है। पेवर सम्बन्धी कार्य हेतु पृथक से पंजीकरण कराने के लिए पेवर, हॉटमिक्स प्लाण्ट आदि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा श्रेणी–ए सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगी एवं मशीनरी आदि की सूची परिशिष्ट–3 के अनुसार होगी।

2. निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 'विशिष्ट श्रेणी' के कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे, परन्तु अपंजीकृत ठेकेदार के सफल निविदादाता होने की स्थिति में अनुबन्ध से पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसी फर्म द्वारा कार्य विशेष हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण के विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु निविदा डालने पर प्राधिकरण में पंजीकरण की समस्त औपचारिकताएं दो माह के अंदर पूर्ण कराते हुए फर्म का पंजीकरण कराना होगा।
3. निर्माण कार्यों पर निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
4. निर्माण कार्यों पर संलग्न परिशिष्ट संख्या–2 एवं सडक कार्य हेतु परिशिष्ट संख्या–3 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि

मशीनरी स्थल पर नहीं लायी जाती है, तो मशीनरी का किराया जैसा कि निविदा प्रपत्र में निहित हो, बिल से काटा जायेगा।

5. ठेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो धरोहर राशि के रूप में निविदा क्रय करने से पूर्व निविदा सूचना में अंकित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा करनी होगी।
6. चलित देयकों से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जमानत राशि काटी जायेगी।
7. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, निर्धारित समय पर कार्य समाप्त ना करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड अधिरोपित करने, पंजीकरण के समय जमा करायी गयी जमानत धनराशि को जब्त करने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अन्तिम अधिकार टेण्डर कमेटी की अनुशंसा पर उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।
8. फर्म द्वारा पंजीकृत होने के उपरान्त भी निविदा की शर्तों के अनुसार क्वालीफिकेशन की अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट सम्बन्धी (निकट का रिश्तेदार) अयोध्या विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। निकट सम्बन्धी का अर्थ पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास–श्वसुर, दामाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई–बहिन, माता, मामा–मामी, मौसी, चचेरे भाई–बहिन, मौसेरे भाई बहिन आदि (संविधान में वर्णित प्राविधान के अनुसार) से है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो जमानत धनराशि जब्त करते हुये फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
10. किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जायेगा।
11. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निविदा मूल्य नियमानुसार देय होगा।
12. हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट–4 के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा (जो पूरे चालू वित्तीय वर्ष के लिय मान्य हो)। फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
13. चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रोपराईटर फर्म चरित्र प्रमाण–पत्र सम्बन्धित व्यक्ति का, पार्टनरशिप फर्म के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का एवं कम्पनी के सम्बन्ध में कम्पनी के सभी डायरेक्टर्स का चरित्र प्रमाण–पत्र जिला मजिस्ट्रेट से जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
14. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 692/23–07–2024 दिनांक 09.08.2024 के द्वारा निर्माण कार्यों में स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफोर्मेन्स सिक्योरिटी लिए जाने के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। तथा यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबंध गठन के समय जमा कराया जायेगा।
    - यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 692/23–07–2024 दिनांकः 09.08.2024 के अनुसार अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारण्टी देय नहीं होगी।
    - यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 692/23–07–2024

दिनांक 09.08.2024 के अनुसार आंकलित अतिरिक्त परफार्मेन्स गारण्टी देय होगी। इस संबंध में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 02 वर्ष होगी जिसको निम्न सारणी के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

क्र0 सं0	वर्ष	जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	अतिरिक्त परफार्मेन्श गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	20 प्रतिशत
2	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	30 प्रतिशत
3	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	अंतिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 692/23–07–2024 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार आंकलित अतिरिक्त परफार्मेन्स गारण्टी देय होगी। इस संबंध में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 03 वर्ष होगी जिसको निम्न सारणी के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

क्र0 सं0	वर्ष	जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	अतिरिक्त परफार्मेन्श गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	20 प्रतिशत
3	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	20 प्रतिशत
4	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 20 प्रतिशत से अधिक निम्न डाली जाती है, तो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 692/23–07–2024 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार आंकलित अतिरिक्त परफार्मेन्स गारण्टी देय होगी। इस संबंध में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 05 वर्ष होगी, जिसको निम्न सारणी के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

क्र0 सं0	वर्ष	जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	अतिरिक्त परफार्मेन्श गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	05 प्रतिशत
2	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	10 प्रतिशत
3	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
4	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
5	अन्तिम भुगतान के पश्चात चतुर्थ वर्ष	निल	15 प्रतिशत
6	अन्तिम भुगतान के पश्चात पंचम वर्ष	अंतिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

15. विगत वित्तीय वर्ष में पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण परिशिष्ट सं0–5 के अनुसार सम्बन्धित अभियंत्रण खण्डों/अन्य विभागों से सत्यापित कराकर देना होगा। किये गये/किये जा रहे कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियन्ता से निम्न स्तर के अधिकारी का मान्य नहीं होगा। सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
16. सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि बिड कैपेसिटी के सापेक्ष कितने मूल्य के कार्य प्रचलित है तथा कितने मूल्य के कार्य आवेदित व प्रोसेसिंग में है।
17. किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप Sub-Lease / Sub-Let / Sub-Contract करना (लिखित अथवा अलिखित रूप से) मान्य नहीं होगा, ऐसा करने की पुष्टि होने पर फर्म का पंजीकरण निरस्तर करते हुए जमानत धनराशि जब्त करने के साथ–साथ फर्म को काली सूची में दर्ज करने का पर्याप्त आधार माना जायेगा।
18. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में निवास स्थान के पते की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा।
19. प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
20. सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
21. निविदा के समय विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।
22. ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर तथा रू० 1/– का रेवेन्यू स्टैम्प पर ठेकेदार मानक भाषा में हस्ताक्षर कर संलग्न किया जायेगा, जिस पर ठेकेदार द्वारा यह अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि निविदा की दरें वैधता की अवधि 90 दिन में वापस नहीं ली जायेगा तथा यदि निर्धारित वैधता अवधि में निविदा की दरें वापस ली जाती हैं, तो उस स्थिति में निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि (100 प्रतिशत) जब्त कर ली जायेगी।
23. किसी भी ठेकदार/फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष की अवधि तक किया जायेगा। इस अवधि में ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कलातीत हो जाने पर निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

    ***पंजीकरण शुल्क केवल एक बार देय होगा एवं नवीनीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या–4 के अनुसार प्रतिवर्ष की दर से देय होगा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक एवं फर्म के स्वेच्छा/सुविधानुसार 03 वर्ष हेतु अगले वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।**
24. वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण को सुरक्षित होगा।
25. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा।
26. पंजीकृत ठेकेदारों के अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
27. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक की निविदा में प्रतिभाग कर सकेगें।
28. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत चार वर्षों में किये गये कार्यों के विवरण संलग्न प्रारूप परिशिष्ट संख्या– 06 में देना होगा, जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न में किया जाना आवश्यक होगा।
29. जमानत राशि निर्माण/विकास कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त अन्तिम भुगतान के अनुमोदन के उपरान्त नियमानुसार अनुबन्ध के अनुसार किए गए कार्य की क्रियाशील अवस्था/गुणवत्ता का परिक्षण करते हुए भुगतान किया जाएगा।

30. ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेन्स शीट देनी होगी।

I. **ए– श्रेणी** के ठेकेदारों के लिए कम से कम 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र (परिशिष्ट संख्या– 05 के अनुसार) देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले चार वर्षों में कम से कम रू० 100.00 लाख प्रतिवर्ष औसत लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही यदि अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी कोई कार्य किया है तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के सक्षम स्तर से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

II. **बी– श्रेणी** के ठेकेदारों के लिए 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र (परिशिष्ट संख्या– 05 के अनुसार) देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 50.00 लाख प्रतिवर्ष औसत लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही यदि अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी कोई कार्य किया है तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के सक्षम स्तर से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

III. **सी– श्रेणी** के ठेकेदारों के लिए 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र (परिशिष्ट संख्या– 05 के अनुसार) देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम रु० 25.00 लाख प्रतिवर्ष औसत लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही यदि अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी कोई कार्य किया है तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के सक्षम स्तर से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

IV. आवेदन फार्म के साथ ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेंगी। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

नोटः– उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) कम्पनी के द्वारा अयोध्या विकास प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो सभी श्रेणी की फर्मों पर मान्य होगी।

31. ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में एक वर्ष के लिए, फर्म की स्वेच्छा/सुविधानुसार तीन वर्ष के लिए किया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष के अन्त तक वैध होगा। पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण आगामी एक वर्ष/तीन वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनः नवीन चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।
32. पंजीकरण हेतु वर्तमान में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में जमा करायी गई पंजीकरण की धनराशि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए भी मान्य होगी। अतः वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अलग से पंजीकरण नहीं कराना होगा। उपरोक्त फर्में वित्तीय वर्ष 2026–27 तक के लिए पंजीकृत मानी जाएगी।
33. अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्राविधानों के अनुसार विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।
34. यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्ट की जाती है, तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी ब्लैकलिस्ट स्वतः ही हो जायेगी।
35. बी.ई./बी.टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्री धारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के 'बी' श्रेणी में किया जा सकता है।

36. डिप्लोमाधारी सिविल के अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण 'सी' श्रेणी में बिना किसी अनुभव के किया जा सकता है।
37. विद्युतीकरण के कार्यों हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत 'क' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स संलग्न करना होगा तथा नियमानुसार सिविल कार्यों की भाँति पंजीकरण/नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।
38. एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से एक से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदारी की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता है। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगा।
39. रू0 10.00 लाख या उससे अधिक धनराशि के कार्य अथवा जैसा भी प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये, की धनराशि के कार्य की निविदा टू–बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमन्त्रित की जायेगी।
40. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि आवेदक राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तब्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
41. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं हैं। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
42. किसी भी ठेकेदार के ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्पादित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया गया है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों अथवा संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।
43. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
44. उक्त नियम व शर्तो के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, अयोध्या का होगा।
45. यदि किसी फर्म/ठेकेदार/कम्पनी द्वारा वांछित प्रपत्रों हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव आदि के रूप में कोई असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
46. अन्य प्रान्तों के निवासित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा प्रपत्र, हैसियत, चरित्र व निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों में प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रदत्त अधिकारी ही सम्बन्धित राज्य में सक्षम अधिकारी है।
47. निर्धारित अवधि में पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क नहीं जमा करने पर नियमानुसार देय के साथ दण्ड ब्याज भी देय होगा।
48. अयोध्या विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत फर्मे निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण मे पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे निविदादाता को सफलता की स्थिति में अनुबंध से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। कुछ ऐसे कार्य जिसमें पंजीकरण अनिवार्य नहीं हो, की शर्तो के अंतर्गत यदि कोई निविदादाता किसी निविदा में प्रतिभाग करता है तो ऐसे निविदादाताओं, जो अयोध्या विकास प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, को सफलता की स्थिति में अनुबंध के समय अयोध्या विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। ऐसे सफल निविदादाता उसी कार्य विशेष हेतु भी अपना प्रोफार्मा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो केवल उसी कार्य विशेष हेतु ही मान्य होगा, किसी अन्य कार्य की निविदा मे प्रतिभाग करने हेतु मान्य नहीं होगा। उक्त प्रोफार्मा रजिस्ट्रेशन मे रजिस्ट्रेशन पुस्तिका शुल्क एवं सम्बन्धित श्रेणी की पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी, पंजीकरण की जमानत धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

49. विशेष परिस्थितियों मे किसी भी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण वित्तीय वर्ष में करने का अधिकार उपाध्यक्ष, अयो0वि0प्रा0 में निहित रहेगा।

<u>पंजीकरण निलम्बनः</u>– किसी ठेकेदार, जिसके विरूद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक नही दी जाएगी, जब तक उसके विरूद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता।

I. स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार–बार दुराचरण।
II. कार्य की असंतोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टांत।
III. ऋण ग्रस्तता मे अभ्यस्त होना।
IV. बाजार में दुर्नाम।
V. अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अव्हेलना।
VI. नशे की हालत में कार्य स्थल पर उपस्थित होना।
VII. निम्न स्तर पर कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।
VIII. अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।
IX. निर्गत की गयी सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।
X. प्राधिकरण की सामग्री का गबन या दुरूपयोग।
XI. गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्रोतो तक सूचनायें पहुंचाना।
XII. विपरीत स्थिति में पाये जाने पर/परिकल्पी बोली बोलना।
XIII. किसी क्रिमिनल केस में न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित करने पर पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
XIV. समय–समय पर अन्य जो आदेश दिये जायें।
XV. प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के कार्य निरीक्षण के समय/समीक्षा के समय पूर्व से सूचित करने के उपरान्त भी बार–बार अनुपस्थित रहने एवं यथोचित व्यवहार ना करने की स्थिति।

<u>पंजीकरण सूची से हटाया जानाः</u>– ऐसे ठेकेदार को जो,

I. उपरोक्त पंजीकरण निलम्बन के किसी भी बिन्दु में किसी दोष के लिए दोषी पाया जाए अथवा
II. आचरण की दृष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा
III. प्राधिकरण या उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था द्वारा काली सूची में रखा गया हो, अथवा
IV. निम्नलिखित में निहित **अयोग्यता** में आता हो।

- पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से तुरन्त निकाल दिया जायेगा। ऐसा आदेश वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थायी है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है। आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।
- एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ति या हर्जाने का हकदार न होगा।

अनुदेशः– पंजीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी सूची से फर्म का नाम हटाने के आदेश पारित करेगा।

अयोग्यताः– वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह

I. आचरण की दृष्टि से संबंधित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे सम्बन्ध रहा हो।
II. दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा
III. अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा
IV. प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, अथवा
V. प्राधिकरण की सेवा मे ं किसी कर्मचारी/अधिकारी से आर्थिक रूप से या अन्य किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो,

अथवा

पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से हटाया गया हो एवं अवधि जिसके लिए वह हटाया गया हो, समाप्त नहीं हुई हो। प्रतिबन्ध यह कि ऐसे मामलों में उपाध्यक्ष, अयो0वि0प्रा0 अपने विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकते हैं।

अपवादः– नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण, निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाये जाने सम्बन्धित मामलों के प्रत्यावेदन उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण को दिये जा सकते हैं। तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार उपाध्यक्ष, अयो.वि.प्रा. को होगा। प्रारम्भिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

सिविल श्रेणी के निर्माण कार्यों पर नियमानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

(10/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

<table>
<tr><th>श्रेणी ("ए")</th><th>श्रेणी ("बी")</th><th>श्रेणी ("सी")</th><th>श्रेणी ("डी")</th></tr>
<tr><td>एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर
न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव</td><td>एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर
न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव</td><td rowspan="2">एक डिप्लोमा होल्डर (सिविल)</td><td>—</td></tr>
<tr><td>दो डिप्लोमा होल्डर (सिविल)
न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव</td><td>एक डिप्लोमा होल्डर (सिविल)
न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव</td><td>—</td></tr>
</table>

विद्युत श्रेणी के कार्यों पर नियमानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

(10/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

<table>
<tr><th>श्रेणी ("ए")</th><th>श्रेणी ("बी")</th><th>श्रेणी ("सी")</th><th>श्रेणी ("डी")</th></tr>
<tr><td>एक ग्रेजुएट विद्युत/यांत्रिक इंजीनियर
न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव</td><td>एक ग्रेजुएट विद्युत/यांत्रिक इंजीनियर
न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव</td><td rowspan="2">एक डिप्लोमा होल्डर (विद्युत/यांत्रिक)</td><td>—</td></tr>
<tr><td>दो डिप्लोमा होल्डर (विद्युत/यांत्रिक)
न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव</td><td>एक डिप्लोमा होल्डर (विद्युत/यांत्रिक)
न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव</td><td>—</td></tr>
</table>

निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची
(10/– रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

सिविल कार्य :–

क्र0 सं0	मशीनरी का नाम	श्रेणी		
		''ए''	''बी''	''सी''
1	कंकरीट मिक्सर	2	1	1
2	वाइब्रेटर्स (पिन तथा सरफेस)	3	2	1
3	वाटर पम्प्स/मड पम्प्स	2	1	1
4	डीज़ल विन्चिस 65 टन क्षमता का	2	1	–
5	बेक–हो/एक्सकेवेटर–कम–लोडर, 1/2 से 1 घनमीटर क्षमता वाले	4	2	–
6	डीज़ल जनरेटर सेट 25 कि0 वाट	1	–	–
7	ट्रैक्टर ट्राली	2	1	–
8	वाटर टेंकर	2	–	–
9	थ्योडोलाइट	1	1	–
10	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	1	–

विद्युत कार्य :–

क्र0सं0	मशीनरी का नाम	मात्रा
1	मेगर 500 वोल्ट/2.5 केवी	01 नग
2	अर्थ टेस्टर	01 नग
3	टन्ग टेस्टर	01 नग
4	क्रीम्पिंग टूल	01 नग
5	सेफ्टी बेल्ट	01 नग
6	हेलमेट	01 नग
7	एम्पियर मीटर	01 नग
8	वोल्ट मीटर	01 नग
9	ग्लोब्ज	01 नग
10	मल्टीमीटर	01 नग
11	अर्थ चेन	01 नग

सडक निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक विभिन्न मशीनरी आदि की सूची (10/– रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित) एवं हॉट मिक्स प्लाण्ट तथा पेवर फिनिशर प्लाण्ट के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

क्र0सं0	मशीनरी का नाम	सभी श्रेणी हेतु
1	पेवर फिनिशर	1
2	कम्प्यूटाइज हॉट मिक्स प्लाण्ट	1
3	बाब्रेटरी रोलर	1
4	टेंडम रोलर	1
5	स्टेटिक्स रोलर	1
6	बेक–हो/एक्सकेवेटर–कम–लोडर, 1/2 से 1 घनमीटर क्षमता वाले	2
7	ट्रिपर ट्रक	3
8	एयर कम्प्रेसर	1
9	बिटुमिन वायलर/स्प्रेयर	1
10	वाटर टेंकर	2
11	ट्रक्टर–ट्राली	1

सिविल/विद्युत कार्यों हेतु क्षमता, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं हैसियत (सामान्य अवधि हेतु)

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू0 में)	आवेदन शुल्क (जी.एस.टी. सहित)	पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार) (रू0 में)	जमानत धनराशि रिफन्डेबल (रू0 में)	नवीनीकरण शुल्क (प्रति वर्ष) (रू0 में)	हैसियत प्रमाण पत्र (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
"ए"	150.00 लाख से अधिक	1,180/–	1,00,000/–	5,00,000/–	30,000/–	50.00 लाख
"बी"	75.00 लाख से 150.00 लाख तक	1,180/–	50,000/–	2,50,000/–	20,000/–	40.00 लाख
"सी"	25.00 लाख से 75.00 लाख तक	1,180/–	30,000/–	1,00,000/–	15,000/–	20.00 लाख
"डी"	25.00 लाख तक	1,180/–	20,000/–	50,000/–	10,000/–	10.00 लाख

नोट :–

1. उपरोक्त कालम संख्या 3, 4 एवं 6 में वर्णित आवेदन शुल्क, पंजीकरण अथवा नवीनीकरण शुल्क का भुगतान प्राधिकरण के बैंक खाते में जमा करना होगा। विवरण निम्नवत् है–
   बैंक का नाम – पंजाब नेशनल बैंक
   खाता संख्या – 3865000100001716
   IFSC Code - PUNB0612900
   शाखा का नाम – अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
2. उपरोक्त कालम–(5) में वर्णित जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर./टी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में जमा की जानी होगी।
3. विशेष परिस्थिति में (सामान्य अवधि के पश्चात्) कालम नं0–4, 5 एवं 6 के शुल्क का दो गुना देय होगा।
4. पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क में जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी।
5. ठेकेदारों/फर्मों को आवेदन करते समय आवेदन शुल्क के साथ समस्त प्रपत्रों को संलग्न कर कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, अयोध्या विकास प्राधिकरण में हार्ड कॉपी के रूप में जमा करना होगा। तत्पश्चात् जाँचोंपरान्त सम्बन्धित श्रेणी में उपयुक्त पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सूचित करने पर पंजीकरण शुल्क व जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात् पंजीकरण कर दिया जाएगा।

विभाग का नाम (विभागीय लेटर हेड पर)

पत्रांक–   दिनांकः

अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 ....निवासी .... द्वारा (विभाग का नाम) .... में अनुबन्ध संख्या– .... दिनांक .... के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य पूर्ण किया गया।

<table>
<tr><td>1.</td><td>कार्य का नाम</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(अ) अनुबन्ध धनराशि</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>कार्य की कम्पलीशन धनराशि –</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>अनुबन्ध में सम्मिलित कम्बाइंड मुख्य कार्यों का विवरण</th><th>कम्पलीशन के अनुसार धनराशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>भवन कार्य (आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर / ब्रिक वर्क)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सड़क कार्य</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सीवर कार्य</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>नाली / नाला / आर0सी0सी0 नाला का कार्य</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>जलापूर्ति कार्य</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पार्क</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>औद्यानीकरण, व इससे सम्बन्धित कार्य</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अन्य</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अनुबन्धानुसार कार्य प्रारम्भ करने व समाप्ति की तिथि</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">5.</td><td>कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>1. समयवृद्धि प्रदान की गई अर्थदण्ड मुक्त /अर्थदण्ड सहित/अर्थदण्ड निर्धारित नहीं किया गया</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>2. कार्य की गुणवत्ता</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Very Good/ अति उत्तम, Good/ उत्तम, Very Fair/ संतोषजनक</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>

- वैधानिक कार्यवाही हेतु मान्य नहीं।
- यह प्रमाण पत्र ठेकेदार / फर्म के अनुरोध दिनांक................................के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(सक्षम अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
(विभाग का नाम पद सहित)
(मोहर)

अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों में किए गए कार्यों का विवरण

क्र0	विभाग / खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत	पिछले चार वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण				वर्क इन हैण्ड / प्रगतिमान कार्यों का विवरण				प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति
				कार्य की कम्प्लीशन धनराशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य का मूल्य (गत वर्षों में भुगतान के उपरान्त अवशेष)	कार्य की भौतिक प्रगति	
						अनुबन्ध के अनुसार	वास्तविक					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोटः– यह विवरण वर्षवार प्राप्त भुगतान के आधार पर अनुमन्य होगा।

नोटः– 10/– रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

शपथ–पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. ....
2. ....
3. यह कि अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या में मेरे द्वारा .... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ जो प्रपत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी सत्य एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं, यदि इनमें कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण को मेरे/हमारे पंजीकरण/नवीनीकीरण को निरस्त कर देने एवं पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. यह कि उक्त पंजीकरण/नवीनीकरण के पश्चात् यदि प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य मुझे आवंटित किया जाता है तथा कार्य आवंटन के पश्चात् भी, उक्त बिन्दु–3 के अनुसार यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो अयोध्या विकास प्राधिकरण को मेरे विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा प्रश्नगत कार्य हेतु जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए कार्य का आवंटन निरस्त करने एवं शेष कार्य मेरे हर्जे–खर्चे पर कराये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।

नाम : ....

पता : ....

मोबाइल नं0 : ....

ई–मेल : . ...

पैन नं0 : ....

आधार नं0 : . ...

कार्यालय, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

14 कोसी परिक्रमा मार्ग, सिविल लाईन, अयोध्या।

www.ayodhyada.in vcafda@gmail.com, vcada@ayodh 7607778900,7311165801

पत्रांक :– /अभि0अयो0वि0प्रा0–अयो/2025–26, दिनांक :–

पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स / सर्वश्री ....

पता:..

प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सिविल/विद्युत/शिरोपरि जलाशय/वेटमिक्स प्लान्ट /हाट मिक्स प्लान्ट/एस0टी0पी0 तथा विशिट श्रेणी आधारित कार्यों हेतु श्रेणी .... में दिनांक .... तक के लिए पंजीकृत/नवीनीकृत किया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता,
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।